



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-23102021-230653
CG-DL-E-23102021-230653

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 503]
No. 503]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 22, 2021/आश्विन 30, 1943
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 22, 2021/ASVINA 30, 1943

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसद् के एक अधिनियम द्वारा गठित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर, 2021

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

सं. पीआर/296/14-डीडी/321/14/डीसी/576/2017.—चार्टर्ड अकाउंटेंट्स (वृत्तिक और अन्य कदाचार के अन्वेषणों और मामलों के संचालन की प्रक्रिया) नियम, 2007 के नियम 18 (17) और 19 (1) के साथ पठित, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 21ख(3) के उपबंधों के निबंधनानुसार अनुशासन समिति ने, सीए. प्रिया वाधवा चावला (सदस्यता संख्या 516631) 182-ए, इंद्रा विहार, किंग्सवे कैम्प के पास, दिल्ली 110009 को, पूर्वोक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (7) के अर्थान्तर्गत वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया है और इसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त सीए. प्रिया वाधवा चावला (सदस्यता संख्या 516631) के नाम को 01 (एक) वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटाने का आदेश दिया है। तथापि, अनुशासन समिति द्वारा दिए गए दंड को अपील संख्या 07/आईसीएआई/2021 द्वारा अपीलिय प्राधिकरण ने अपने 20 फरवरी, 2021 के आदेश द्वारा संशोधित करके नाम हटाए जाने की अवधि को एक वर्ष से घटाकर दो माह कर दिया है। इसके अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह अधिसूचित किया जाता है कि सीए. प्रिया वाधवा चावला (सदस्यता संख्या 516631) का नाम, 22 अक्टूबर, 2021 से 02 (दो) मास की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हट जाएगा।

सीए. (डॉ.) जय कुमार बत्रा, कार्यवाहक सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./367/2021-22]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd October, 2021

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

No. PR/296/14-DD/321/14/DC/576/2017.—In terms of the provisions of Section 21B(3) of the Chartered Accountants Act, 1949 read with Rules 18(17) and 19(1) of the Chartered Accountants (Procedure of Investigations of Professional and Other Misconduct and Conduct of Cases) Rules, 2007, the Disciplinary Committee has held **CA. Priya Wadhwa Chawla (Membership No. 516631) 182-A, Indra Vihar, Near Kingsway Camp, DELHI 110 009**, guilty of Professional Misconduct falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule to the aforesaid Act and consequently ordered for removal of the name of aforesaid **CA. Priya Wadhwa Chawla** (Membership No. 516631) from the Register of Members for a period of 01(One) year. However, the punishment awarded by the Disciplinary Committee has been modified by the Appellate Authority vide its order dated 20th February, 2021 in Appeal No. 07/ICAI/2021 by reducing the period of removal from one year to two months. Accordingly, in pursuance thereof and in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 20 of the aforesaid Act, read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of said **CA. Priya Wadhwa Chawla (Membership No. 516631)**, shall stand removed from the Register of Members for a period of 02(Two) months with effect from 22nd October, 2021.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Acting Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./367/2021-22]